

न्यायालय जिला कलेक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या— 53/2024

बउनवान

घनश्याम आयु 48 वर्ष पुत्र श्री गणपतलाल जाति कीर निवासी रायपुरा तहसील अन्ता जिला बारां राज० (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, अन्ता, जिला बारां (राज०)

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :- 1. श्री ज्ञानप्रकाश शर्मा, अभिभाषक
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)

(रेस्पोंडेंट)





निर्णय दिनांक— 28.02.2025

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 24.10.2024 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम रायपुरा तहसील अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 68 रकबा 0.32 है, किस्म-बंजड़ भूमि पर कृषि कार्य करने का दोषी मानकर 160 रूपये शास्ति एवं 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर विद्यमान तथ्यों एवं दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बगैर किसी स्वतंत्र गवाह की साक्ष्य लिये बिना केवल मात्र हल्का पटवारी के बयानों के आधार पर अपीलांट को उक्त आराजी पर अतिक्रमी माना है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा तावान राशि भी जमा करवा दी है तथा अपीलांट का उक्त आराजीयात पर कोई कब्जा नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.10.2024 प्रकरण संख्या 14/2024 निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बगैर किसी स्वतंत्र गवाह की साक्ष्य लिये बिना केवल मात्र हल्का पटवारी के बयानों के उक्त आराजी पर अतिक्रमी माना है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय  पर अपीलांट को किये जाने योग्य


जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

अपीलांट द्वारा तावान राशि भी जमा करवा दी है तथा अपीलांट का उक्त आराजीयात पर कोई कब्जा नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.10.2024 निरस्त फरमावें।


दौराने बहस परोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपील में अपीलांट द्वारा स्वयं माना है कि उसने जुर्माना जमा करवा दिया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर संवत् 2079 रबी में भी अतिचार करने पर मिसल नम्बर 27/22 निर्णय दिनांक 13.12.2022 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। तथा अपील में अपीलांट द्वारा स्वयं माना है कि उसने जुर्माना जमा करवा दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 68 रकबा 0.32 है0 किस्म बंजड़ ग्राम रायपुरा पर सम्वत् 2079 में भी अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 27/22 में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2022 से बेदखल किया जाना पत्रावली में संलग्न बयान पटवारी हल्का से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर ही सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रकरण संख्या 14/24 में पारित आदेश दिनांक 24.10.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।




(रोहितेश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारा
(राज.)